

नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग
अधिसूचना

दिनांक 25 जनवरी, 1994

संख्या पी0 सी0- 94/800- पंजाब अनुसूचित सड़कें तथा नियन्त्रित क्षेत्र अनियमित विकास प्रतिबन्ध अधिनियम, 1963 की धारा 4 की उप धारा (I) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियां तथा उन्हें सक्षम बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा नीचे दी गई अनुसूचि में यथाविनिर्दिष्ट तथा इससे संलग्न नक्शों में दर्शाए गए गांव नाहरपुर कासन, तहसील और जिला गुड़गांव के राजकीय प्राथमिक विद्यालय के आस पास के नियन्त्रित क्षेत्र को उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ नियन्त्रित क्षेत्र के रूप में घोषित करते हैं, अर्थात्:-

अनुसूची

गांव नाहरपुर कासन, तहसील और जिला गुड़गांव के राजकीय प्राथमिक विद्यालय के आस-पास के नियन्त्रित क्षेत्र की सीमा-अनुसूची को ड्राईंग संख्या डी0टी0पी0 (जी) 417/93 दिनांक 25 मई, 1993 के साथ पढ़ा जाए।

उत्तर: बिन्दु 'क' से लेकर अर्थात् गांव कंकरौला की आयत संख्या 42 का उत्तर-पूर्वी कोना, उसके बाद गांव कंकरौला की आयत संख्या 42,43,44 तथा 45 गांव नाहरपुर कासन की आयत संख्या 6 तथा 7 और गांव नवधा फतेहपुर की आयत संख्या 34, 35 तथा 36 की उत्तरी सीमा के साथ-2 पूर्व की ओर बिन्दु 'ख' तक जहां यह गांव लखनौला की पश्चिमी सीमा के साथ मिलती है।

पूर्वी : उसके बाद गांव लखनौला का पश्चिमी सीमा के साथ-2 दक्षिण की ओर बिन्दु 'ग' तक जहां यह 28 जनवरी, 1991 को प्रकाशित हरियाणा सरकार राजपत्र अधिसूचना सं0 जे0 डी0 91/750, दिनांक 22 जनवरी, 1991 द्वारा गांव मनेसर के राजकीय उच्च विद्यालय के आस पास के पहले से ही घोषित नियन्त्रित क्षेत्र की सीमा के साथ मिलती है, उसके बाद उक्त नियन्त्रित क्षेत्र की सीमा के साथ-2 दक्षिण पश्चिम की ओर बिन्दु "घ" तक जहां यह गांव खोह की आयत संख्या 20 की दक्षिणी सीमा के साथ मिलती है।

दक्षिण : उसके बाद आयत संख्या 20 तथा 21 की दक्षिणी सीमा के साथ-2 पश्चिम की ओर, उसके बाद आयत संख्या 21 की पश्चिमी सीमा के साथ-2 उत्तर की ओर, उसके बाद आयत संख्या 16 की दक्षिणी सीमा के साथ-2 पश्चिम की ओर, उसके बाद आयत संख्या 16 की पश्चिमी सीमा के साथ-2 उत्तर की ओर, उसके बाद गांव खोह की आयत संख्या 14 की दक्षिणी सीमा के साथ-2, पश्चिम की ओर, और उसके बाद गांव कासन की आयत संख्या 86 की दक्षिणी सीमा के साथ-2, उसके बाद आयत संख्या 86 की पश्चिमी सीमा के साथ-2 उत्तर की ओर, उसके बाद आयत संख्या 55 की दक्षिणी सीमा के साथ-2 पश्चिम की ओर बिन्दु "ड." तक जो गांव कासन की आयत संख्या 55 का दक्षिणी पश्चिमी कोना है।

पश्चिम: उसके बाद गांव कासन की आयत संख्या 55, 49, 26, 19, 6, 2 और गांव कंकरोला की आयत संख्या 48 और 42 की पश्चिमी सीमा के साथ-2 उत्तर की ओर बिन्दु "क" तक अर्थात् आरम्भ के बिन्दु तक।

प्रदीप कुमार,
आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग।

158

HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), JAN.31, 1994 (MAGHA 11, 1915 SAKA)

TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

Notification

The 25th January, 1994

No. PC-94/800- In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (i) of section 4 of the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 and all other powers enabling him in this behalf, the Governor of Haryana hereby declares the area around the Government Primary School at village Naharpur Kasan, tehsil and district Gurgaon as specified in the Schedule given below and shown in the plan appended hereto, to be a controlled area for the purposes of the said Act, namely:-

SCHEDULE

Schedule of boundaries of controlled area around Government Primary School at village Naharpur Kasan, tehsil and district Gurgaon to be read with Drg No DTP(G) 417/93, dated 25th May, 1993.

North: Starting from point "A" i.e. north-west corner of Rect.No. 42 of village Kankraula, thence towards east along the northern boundary of Rect. No. 42,43,44 and 45 of village Kankraula, Rect. No. 6 and 7 of village Naharpur Kasan and Rect. No. 34,35 and 36 of village Nawadha Fatehpur upto point 'B' where it meets with the western boundary of village Lakhnaula.

East: Thence, towards south along the western boundary of village Lakhnaula upto point 'C' where it meets the boundary of controlled area already declared around Government High School of village Manesar, -vide Haryana Government Gazette Notification No. J.D.-91/750 dated 22nd January, 1991 published on 28th January 1991, thence towards south-west along the said controlled 22nd January, 1991 published on 28th January, 1991, thence, towards south-west along the said controlled area boundary upto point 'D' where it meets with the southern boundary of Rect. No. 20 of Village Khoh.

South: Thence, towards west along the southern boundary of Rect. No. 20 and 21, thence towards north along the western boundary of Rect. No. 21, thence towards west along the southern boundary of Rect. No. 16, thence towards north along the western boundary of Rect. No. 16, thence toward west along southern boundary of Rect. No. 14 of village Khoh and further along southern boundary of Rect. No. 86 of village Kasan, thence, towards north along western boundary of Rect.No. 86, thence to wards west along southern boundary of Rect.no. 55 upto point 'E' which is a south-west corner of Rect. No. 55 of village kasan.

West: Thence, towards north along the western boundary of Rect. No. 55, 49, 19, 6, 2 of village kasan and Rect. No. 48 and 42 of village Kankraula upto point 'A' i.e. the point of start.

PRADEEP KUMAR

Commissioner and Secretary to Government, Haryana,
Town and Country Planning Department.